NOTES BY -AKHILESH KUMAR (GT Assistant Professor)
JK College Biraul Darbhanga
YouTube : A Commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU -B.com part - 3Rd Paper-vii – Taxation Theory

and Practice Unit-1

करारोपण : अर्थ, सिद्धान्तों एवं वर्गीकरण (Taxation: Meaning, Canons and Classification)

प्रश्न - कर को परिभाषित कीजिये। करारोपण के उद्देश्य तथा सिद्धान्तों को स्पष्ट कीजिये।

अथवा

एडम स्मिथ के करारोपण के सिद्धान्त बताइये। अन्य द्वारा इनमें और कौन-से सिद्धान्त जोड़े गये हैं?

अथवा

करारोपण के विचार इसके विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर- आधुनिक युग में कर सार्वजनिक आय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। "'कर' मुद्रा के रूप में एक अनिवार्य अंशदान है जो नागरिकों के सामान्य हित और कल्याण के लिए व्यय करने के उद्देश्य से सरकार नागरिकों से वसूल करती है।"

कर की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-

(i) प्रो० फिण्डले शिराज के अनुसार, "कर सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा वसूल किया जाने वाला वह अनिवार्य भुगतान है जो सार्वजनिक हित के लिए व्यय को पूरा करने के लिए लिया जाता है।"

(ii) प्रो० सैलिगमैन के अनुसार, "कर जनता द्वारा सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य अंशदान है जो सामान्य जनता के हित पर व्यय करने हेतु लगाया जाता है और किसी को विशेष लाभ प्रदान नहीं किए जाते ॥"

(iii) प्रो० टॉजिग के अनुसार, "कर तथा भुगतानों के बीच मुख्य अन्तर यह है कि करदाता और सार्वजनिक अधिकारी के बीच में कोई प्रत्यक्ष 'जैसे को तैसा' का सम्बन्ध नहीं होता।"

(iv) डाल्टन के अनुसार, "कर सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है, चाहे उसके बदले में करदाता को उतनी सेवाएं प्रदान की जाएँ अथवा नहीं और इसे किसी कानूनी सजा के रूप में नहीं लगाया जाता है।"

(v) डी० मार्को के अनुसार, "कर नागरिकों की आय का वह भाग होता है जो सरकार सामान्य जनोपयोगी सेवाओं को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है।'

कर की प्रमुख विशेषताएँ (Characteristic Features of a Tax)

कर की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

(1) कर एक अनिवार्य भुगतान है– कर एक अनिवार्य भुगतान है, चाहे इससे भुगतान करने वाले व्यक्ति को कोई लाभ प्राप्त हो या न हो। कोई भी नागरिक कर देने से इनकार नहीं कर सकता और न ही कर की चोरी कर सकता है। कर की चोरी दण्डनीय अपराध है और ऐसा करने पर नागरिकों को दण्ड दिया जाता है।

(2) कर के बदले विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता- कर का सरकारी व्यय से प्राप्त लाभ से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। करदाता

सरकार से कर के अनुपात में कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(3) कर-आय का सामान्य हित में उपयोग होता है- राज्य को कर के रूप में जो आय प्राप्त होती है, वह किसी एक वर्ग विशेष पर व्यय न की जाकर सार्वजनिक हित में व्यय की जाती है, किन्तु इसमें यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति या जिस वर्ग से आय प्राप्त की जाए उस व्यक्ति या उस वर्ग पर उसे व्यय कर दिया जाए। व्यय करते समय सरकार दारा निजी-हित की अपेक्षा सार्वजनिक-हित का ध्यान रखा जाता है।

करारोपण के उद्देश्य (Objectives of Taxation)

प्राचीन काल में कर केवल सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति करने के उद्देश्य से ही लगाये जाते थे परन्तु आजकल करारोपण का प्रमुख उद्देश्य आय प्राप्त करना ही नहीं वरन् अर्थव्यवस्था में समानता लाने तथा धन के वितरण को न्यायपूर्ण बनाने के उद्देश्य से भी कर लगाये जाते हैं। करारोपण के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं -

(1) आय प्राप्त करना– वर्तमान समय में करारोपण के अनेक उद्देश्य हैं, परन्तु करारोपण का मुख्य उद्देश्य आय प्राप्त करना ही है। कर अन्य स्रोतों की अपेक्षा काफी लोचपूर्ण होते हैं।

जितनी आसानी से सरकार करों से आय प्राप्त कर लेती है, उतनी आसानी से अन्य स्रोतों से आय प्राप्त नहीं की जा सकती है।

(2) नियमन व नियन्त्रण करना- वर्तमान समय में करारोपण का प्रयोग आर्थिक स्थायित्व लाने व मादक पदार्थों के उपभोग को रोकने के लिये किया जाता है। जब देश में नशीली वस्तुओं का उपभोग व उत्पादन बढ़ने लगता है तब इन वस्तुओं पर ऊँची दर से कर लगा कर इनके उपभोग व उत्पादन में कमी की जाती है। आय की असमानता को दूर करने के लिये भी ऊँची आय वाले व्यक्तियों पर ऊँची दर से कर लगाये जाते हैं। यदि देश में आयात बढ़ें और निर्यात घटें तो भी करों की सहायता से विदेशी व्यापार को अपने पक्ष में कर लिया जाता है।

(3) आय के वितरण की असमानताओं को कम करना- न्यायोचित वितरण-व्यवस्था का अभिप्राय आय की असमानता को दूर करना है। युद्धकाल में उद्योगपतियों व व्यापारियों को मनमाना लाभ मिलने लगता है। इस प्रकार का लाभ आर्थिक असमानता को बढ़ा देता है। इसलिये ऐसी स्थिति में ऊँचे कर लगाकर आय में समानता लायी जा सकती है।

(4) राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना- करों से उत्पादन व राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिये, कर लगाने से पूर्व व्यक्ति जितना उत्पादन व आय प्राप्त कर रहा था, करों के लगने के बाद भी वह उतना ही उत्पादन व आय अपने पास रखना चाहता है, ताकि उसका आर्थिक स्तर पूर्ववत् बना रहे। परन्तु यह तभी सम्भव होगा, जब व्यक्तियों की कार्य करने व बचत करने की इच्छा तीव्र होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के सन्दर्भ में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि करों से सरकार आय प्राप्त करती है और इस आय को आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में व्यय करके राष्ट्रीय आय बढ़ायी जा सकती है। विकासशील देशों में, जहाँ आर्थिक नियोजन को आर्थिक विकास का प्रमुख यन्त्र मान लिया गया है, वहीं आर्थिक विकास के लिये करों का महत्त्व कई गुना अधिक बढ़ गया है।

(5) मुद्रा-प्रसार पर नियन्त्रण-मुद्रा-प्रसार में मुद्रा का चलन- वेग बढ़ जाता है। लोगों की क्रय-शक्ति तो बढ़ती है परन्तु मुद्रा की क्रय-शक्ति घटती है। समाज का एक वर्ग लाभ कमाता है तो दूसरा वर्ग हानि सहन करता है। इस प्रकार की दुर्व्यवस्था की रोकथाम कुछ हद तक करों के द्वारा की जा सकती है। मुद्रा के अतिरिक्त चलन-वेग को प्रगतिशील कर-प्रणाली द्वारा रोका जा सकता है। ऐसी दशा में प्रत्यक्ष कर-प्रणाली उपयुक्त होती है।

करारोपण के सिद्धान्त (Canons of Taxation)

करारोपण के सिद्धान्तों से हमारा आशय उन विशेषताओं से है जो एक अच्छे कर में निहित होनी चाहिए, ये एक अच्छे कर के गुण हैं। इनका सम्बन्ध कर लगाने की नीति एवं संकलन से है। ये ही कर की दरों तथा राशियों का निर्देशन करते हैं।

एडम स्मिथ प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक 'Wealth of Nations' में करारोपण के चार सिद्धान्तों (परिनियमों) का प्रतिपादन किया। ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-

(1) समानता का सिद्धान्त (Canon of Equity)- अपने इस सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए एडम स्मिथ ने कहा है, "प्रत्येक राज्य की जनता को सरकार के कार्य संचालन हेतु अपनी योग्यतानुसार अंशदान करना चाहिए, अर्थात् उस आय के अनुपात में जिसका उपभोग वे राज्य के संरक्षण में करते हैं।"

वाकर का विचार है कि एडम स्मिथ का समानता से अभिप्राय आनुपातिक कर प्रणाली से था, किन्तु सैलिगमैन के अनुसार एडम स्मिथ का समानता से अभिप्राय प्रगतिशील कर-प्रणाली (Progressive Taxation System) से था। फिण्डले शिराज के अनुसार, "वित्तीय इतिहास में भिन्न-भिन्न समयों पर समता का अर्थ बदलता रहा है।" परन्तु अब इस बात को अस्वीकार नहीं

किया जा सकता कि 'कर देने की योग्यता का अर्थ प्रगतिशील-कर से है।' एडम स्मिथ ने बाद में स्वयं स्वीकार किया है, "यह अत्यधिक उचित है कि धनिकों को सार्वजनिक व्यय के हेतु केवल अपनी आयों के अनुपात में ही अंशदान नहीं करना चाहिए, वरन् उस अनुपात से कुछ अधिक करना चाहिए।"

(2) निश्चितता का सिद्धान्त (Canon of Certainty)- इस सिद्धान्त के अनुसार, "प्रत्येक व्यक्ति को जो कर देना है वह निश्चित होना चाहिए-मनमाना नहीं। भुगतान का समय, भुगतान की विधि, भुगतान की राशि करदाता को तथा अन्य प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट होनी चाहिए।" आगे स्मिथ के अनुसार, "कर के मामले में किसी व्यक्ति को जो रकम अदा करनी है उसकी निश्चितता इतने महत्त्व की बात है कि समस्त देशों के अनुभव के आधार पर मेरा विचार है कि काफी मात्रा की असमानता भी इतनी भयानक नहीं है जितनी कि बहुत थोड़ी मात्रा में अनिश्चितता।"

कर की निश्चितता करदाता और राज्य दोनों के लिए ही लाभप्रद होती है। इससे करदाता को यह ज्ञान होता है कि उसे कब और कितनी राशि कर के रूप में देनी है। अत: वह अपना व्यय उसी के अनुसार समायोजित कर सकता है। राज्य को यह पता होता

है उसे कब और कितनी आय प्राप्त होगी। अतः राज्य अपने बजट का अनुमान निश्चितता पूर्वक कर सकता है।

(3) सुविधा का सिद्धान्त (Canon of Convenience)- एडम स्मिथ के अनुसार, "प्रत्येक कर ऐसे समय पर तथा इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि उसका भुगतान करना करदाता के लिए अधिक से अधिक सुविधाजनक हो।" दूसरे शब्दों में, कर के भुगतान का समय तथा कर के भुगतान की विधि करदाताओं की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसान से लगान की वसूली फसल काटने के समय, आयकर का वसूली वेतन मिलने के समय अथवा बिक्री कर की वसूली वस्तुओं की बिक्री के समय का जानी चाहिए।

(4) मितव्ययिता का सिद्धान्त (Canon of Economy)- इस सिद्धान्त के अनुसार कर प्रणाली मितव्ययितापूर्ण होनी चाहिए अर्थात् कर वसूल करने में कम से कम व्यय होना चाहिए। एडम स्मिथ के अनुसार, "प्रत्येक कर इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि लोगों

की जेब से सरकारी खजाने में जानी वाली रकम के अतिरिक्त कम से कम राशि निकाली जाए।" प्रो० जे० के० मेहता के अनुसार, "करारोपण एक प्रकार से उत्पादन कार्य है। अतएव

उत्पादन कार्य में यथासम्भव मितव्ययिता बरती जानी चाहिए।"

डॉ० डाल्टन के अनुसार, "सर्वोत्तम कर प्रणाली वह है जिसके अन्तर्गत कर वसूल करने की लागत संग्रहीत आय के अनुपात में न्यूनतम हो।"

इस दृष्टि से कर लगाते व संग्रह करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए |

(i) कर संग्रह करने की प्रशासनिक लागत कम से कम आए।

(ii) करारोपण का उद्योग व व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(iii) कर इतने भारी न हों कि कर वंचन को प्रोत्साहन मिले।

(iv) कर-पद्धति सरल होनी चाहिए।

करारोपण के अन्य सिद्धान्त-एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त चार सिद्धान्तों के अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया गया है। ये सिद्धान्त निम्नलिखित

(5) उत्पादकता का सिद्धान्त (Canon of Productivity)- इस सिद्धान्त का प्रतिपादन बेस्टेबेल ने किया। उनके अनुसार कराधान को उत्पादक होना चाहिए। कर की उत्पादकता दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है–प्रथम, कर ऐसा होना चाहिए कि जो सरकार को संचालन के लिए यथेष्ट मात्रा में धन दे सके तथा दूसरे, कर ऐसा होना चाहिए जो उत्पादन को हतोत्साहित न करे।

(6) लोच का सिद्धान्त (Canon of Elasticity)- कर-प्रणाली के लोचदार होने से आशय यह है कि करों से प्राप्त होने वाली आय को आवश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया या सके। सरकार को अकाल, बाढ़, युद्ध या अन्य किसी संकट का सामना करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता हो सकती है। यदि कर-प्रणाली लोचदार है तो कर दरों में थोड़ा हेर-फेर करके पर्याप्त धनराशि इकट्ठा की जा सकती है। आय कर एक लोचपूर्ण कर है, जबकि वस्तु कर, सम्पत्ति कर तथा मालगुजारी में लोच नहीं है।

(7) विविधता का सिद्धान्त (Canon of Diversity)- कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर प्रकार के कर हों, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक योगदान कर सके। इस दृष्टि से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों का ठीक ढंग से विभाजन होना चाहिए और उचित वस्तुओं पर कर लगाया जाना चाहिए। वस्तुतः कराधान

के भार को सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर विस्तृत रूप से फैला दिया जाना चाहिए, परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसा करने से उत्पादकता तथा मितव्ययिता के प्रयासों को ठेस न पहुँचे। प्रो० आर्थर यंग के अनुसार, "यदि मुझसे एक अच्छी कर-पद्धति की व्याख्या करने को कहा जाए तो मैं कहूँगा कि अच्छी कर पद्धति वह है जो लोगों की अपरिमित संख्या पर बहुत हल्का दबाव डाले और भारी दबाव किसी पर भी नहीं।"

(8) सरलता का सिद्धान्त (Canon of Simplicity)- कर ऐसा होना चाहिए कि करदाता उसे आसानी से समझ सके। दूसरे शब्दों में, कर की प्रकृति, उसका उद्देश्य, भुगतान

का समय, कर-निर्धारण का तरीका और आधार आदि सभी ऐसे होने चाहिए कि प्रत्येक करदाता उसको आसानी से समझ सके तथा पालन कर सके।

(9) उपयुक्तता का सिद्धान्त (Canon of Expediency)- कर लगाने की सम्भावना तथा समयोचितता पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जाना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि करदाता पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। केवल वही कर लगाए जाने चाहिए जो उचित तथा वांछनीय हों। लोकतन्त्रीय देशों में यह सिद्धान्त बड़ा महत्त्वपूर्ण है|

(10) समन्वय का सिद्धान्त (Canon of Co-ordination)- कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि करदाता को एक ही वस्तु पर अनेक स्थानों पर तथा अनेक बार कर न चुकाना पड़े। इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों, पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं की कर-नीतियों में समन्वय स्थापित किया जाए और कर-वसूली अन्तिम उपभोक्ता-स्तर पर की जाए।